मध्यप्रदेश शासन

वित्त विभाग

वल्लभ भवन-मंत्रालय-भोपाल

क्र. एफ 9-3 / 2024 / नियम / चार भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 2024

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मंडल, ग्वालियर,
समस्त संभागीय आयुक्त,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त जिलाध्यक्ष,
मध्यप्रदेश ।

विषयः- राज्य शासन के विभागों में राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) के अंतर्गत कार्यरत कार्मिकों हेतु फण्ड मैनेजर का चयन तथा निवेश के विकल्प की सुविधा ।

राज्य शासन के अंतर्गत सिविल सेवा के पदों पर दिनांक 01.01.2005 अथवा इसके उपरांत नियुक्त कर्मचारियों हेतु प्रभावशील परिभाषित अंशदायी पेंशन योजना (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली) के सदस्यों के लिये वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक आर. नं. 2791/08/ ई/चार दिनांक 24/26.09.2008 द्वारा पेंशन फंड मैनेजर नियुक्त करने एवं निवेश की प्रक्रिया निर्धारित की गयी है ।

2/ भारत सरकार द्वारा अधिसूचना दिनांक 31 जनवरी, 2019 के द्वारा केन्द्र सरकार के राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली से संबंधित कार्मिकों हेतु पेंशन निधि और निवेश की प्रक्रिया के संबंध में अतिरिक्त विकल्प उपलब्ध कराते हुये, योजना को विस्तारित किया है । भारत सरकार की उक्त अधिसूचना को दृष्टिगत रखते हुये, राज्य शासन द्वारा राज्य के राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) के कार्मिकों के लिये योजना को विस्तारित करते हुये, निवेश पद्धति एवं पेंशन फंड मैनेजर के चयन हेतु अतिरिक्त विकल्प उपयोग करने की सुविधा उपलब्ध कराये जाने के दृष्टिगत, एतद द्वारा निम्नानुसार निर्णय लिया गया है:-

(अ) पेंशन फंड मैनेजर चयन का विकल्प :- राज्य के एन. पी. एस. योजना के कार्मिकों को भी पी. एफ. आर. डी. ए. द्वारा अधिकृत पेंशन फंड मैनेजरों में से किसी एक पेंशन फंड मैनेजर का चयन करने का विकल्प उपलब्ध होगा । अभिदाता एक

वित्तीय वर्ष में एक बार इस विकल्प का उपयोग कर सकेगा । विकल्प का चयन न करने की स्थिति में वर्तमान प्रचलित डिफाल्ट व्यवस्था पूर्ववत ही उपलब्ध रहेगी।

(ब) **निवेश पद्धति का विकल्प** :- राज्य के एन. पी. एस. अभिदाताओं को निवेश हेतु निम्नानुसार विकल्प उपलब्ध होंगे :-

(i). शासकीय अभिदाता उच्चतर प्रतिफल के लिए विकल्प का चयन करते हैं, उन्हें जीवनचक्र पर आधारित निम्नांकित विकल्प उपलब्ध होंगे :-

(क) परंपरागत जीवनचक्र निधि (Conservative Life Cycle), जिसमें इक्विटी में निवेश की अधिकतम सीमा 25% (LC 25) निर्धारित है ।

(ख) सामान्य जीवन चक्र निधि (Modrate Life Cycle), जिसमें इक्विटी में निवेश की अधिकतम सीमा 50% (LC 50) निर्धारित है ।

(ii). शासकीय अभिदाता जो न्यूनतम जोखिम के साथ निर्धारित प्रतिफल के विकल्प का चयन करते हैं, को सरकारी प्रतिभूतियों में 100% निवेश करने का विकल्प उपलब्ध रहेगा ।

(iii). अभिदाताओं को वर्तमान प्रचलित (डिफाल्ट) निवेश पद्धति का विकल्प स्वत: उपलब्ध होगा ।

3/ अभिदाताओं को विकल्प के उपयोग संबंधी प्रक्रिया के दिशा-निर्देश पृथक से जारी किये जायेंगें ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(पी.के.श्रीवास्तव)
उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग

पृ.क्र. एफ 9-3/2024/ नियम / चार भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 2024

प्रतिलिपिः-

1. राज्यपाल मध्यप्रदेश के सचिव, राजभवन, भोपाल
2. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, भोपाल
3. मुख्य सचिव के स्टाफ ऑफिसर, मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल
4. निज सचिव / निज सहायक, मान. वित्त मंत्रीजी, मध्यप्रदेश शासन भोपाल
5. निज सचिव, अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग
6. निज सचिव, सचिव, वित्त विभाग
7. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश विधानसभा, भोपाल
8. निज सचिव, अपर मुख्य सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग
9. निबंधक, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर
10. सचिव, लोक सेवा आयोग, इन्दौर
11. सचिव, लोकायुक्त, मध्यप्रदेश, भोपाल
12. निज सचिव / निज सहायक, मंत्री / राज्यमंत्री मध्यप्रदेश राज्य शासन भोपाल
13. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, मध्यप्रदेश, भोपाल
14. सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, मध्यप्रदेश, भोपाल
15. महाधिवक्ता / अतिरिक्त महाधिवक्ता, मध्यप्रदेश भोपाल / इन्दौर / ग्वालियर
16. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी/आडिट) 1/2 मध्यप्रदेश ग्वालियर / भोपाल
17. अध्यक्ष व्यावसायिक परीक्षा मण्डल / माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल
18. सचिव, कर्मचारी आयोग, बी-1 गोमंतिका परिसर, भोपाल
19. सचिव, राज्य कर्मचारी कल्याण समिति मंत्रालय, भोपाल
20. आयुक्त, कोष एवं लेखा, मध्यप्रदेश, भोपाल
21. आयुक्त, जनसंपर्क, संचालनालय, मध्यप्रदेश, भोपाल
22. संचालक, वित्तीय प्रबंधन सूचना प्रणाली मंत्रालय, भोपाल
23. समस्त अपर सचिव / उप सचिव / अवर सचिव / परामर्शी / अनुभाग अधिकारी, वित्त विभाग
24. संचालक पेंशन , भविष्य निधि एवं बीमा मध्यप्रदेश भोपाल ।
25. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, कोष एवं लेखा, मध्यप्रदेश
26. समस्त प्राचार्य, लेखा परीक्षण शाला, मध्यप्रदेश।

27. संयुक्त संचालक, जनसंपर्क प्रकोष्ठ, मंत्रालय, भोपाल

28. अध्यक्ष, शासन के समस्त मान्यता प्राप्त कर्मचारी संगठन/संघ

29. समस्त कोषालय अधिकारी/उप कोषालय अधिकारी, मध्यप्रदेश

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।

30. गार्ड फाईल ।

(विवेक कुमार घारू)
अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग